विचार बिन्दु

त्याग यह नहीं कि मोटे और खुरदरे वस्त्र पहन लिए जायें और सूखी रोटी खायी जाये, त्याग तो यह है कि अपनी इच्छा अभिलाषा और तृष्णा को जीता जाये। –सुफियान सौरी

ज़िन्दगी : रीयल और रील के झमेले

वीडियो या रील के माध्यम से आज हम तेजी से अपने इर्द-गिर्द होने वाली घटनाओं और भ्रष्टाचार को आसानी से देख पा रहे हैं। वस्तुत: सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सूचना के अधिकार से भी अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है रील बनाने का शौक। लेकिन यह बात सच है कि किसी रहस्य बेईमानी या बदनियति को उजागर करने के लिए कोई आसानी से तो रील नहीं बना सकता, जाहिर सी बात है इसके लिए रील बनाने वाला व्यक्ति चोरी-छुपे प्रयास करता है और ऐसे एक्टिविस्ट लोग तेजी से समाज के सामने गलत बातों को प्रस्तुत करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत खराब है, रील या वीडियो बनाने की आदत ने लोगों को ब्लैकमेल के अंधे कुएं में धकेल दिया है। कुछ लोग आदतन अपराधी होते हैं जो इसी काम में लगे रहते हैं और किसी न किसी तरह से गलत चीजों की रील बनाकर ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। आजकल होटल में रहने वाले कपल्स और बड़े-बड़े वस्त्र संग्रहालयों में कपड़े खरीदने वाली लड़कियां चेंजिंग रूम में छिपे कैमरों की नजरों से बच नहीं पा रही हैं। अब तो हालत इतने बिगड़ गए हैं कि हॉस्टल्स में लड़कियों के वॉशरूम में छुपकर कैमरे लगाए जा रहे हैं और उनका जीना मुश्किल होता जा रहा है। इन सब के कारण रील या वीडियो बनाने की यह प्रवृत्ति अब बहुत दूषित स्टेज पर पहुंच गई है। प्रसिद्ध होने की चाहत में रील बनाने की आदत ने लड़कियों को लड़कों को एक तरह से खुला लाइसेंस दे दिया है वे यहां-वहां कहीं भी सड़क पर, घर पर, नदी-नाले-पहाड़ पर, ट्रेन में बस में ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहां बेहूदा अश्लील और बकवास किस्म के वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन आप उनका कर कुछ नहीं सकते हैं, इस दिशा में न तो किसी तरह का कोई कानून है न ही कोई सामाजिक प्रतिबंध है। और संस्कार की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्या आपको पता है भारत में हर दिन 140 बिलियन से अधिक इंस्टाग्राम रील्स प्ले होते हैं। इसीलिए भारत में इंस्टाग्राम रील्स का सबसे बड़ा बाज़ार है।

चौंकिए मत ये तो महज एक आंकड़ा है लेकिन इसे लेकर गलतफहमियां हजारों हैं। जैसे यकायक खूब चमक जाएंगे, हीरो या हीरोइन बन जाएंगे, अकूत पैसा आएगा, माडल बन जाएंगे और निगाह पड़ी तो राजनीति में भी किस्मत चमक सकती है। दरअसल में पहले टिकटॉक रील बनाने के लिए जाना जाता था लेकिन जब इसका बैन किया तो इंस्टाग्राम ने साल 2021 में रील ऑप्शन लॉन्च कर दिया । खुद इन्स्टाग्राम वालों को भी ये मालूम नही था, महज चार वर्षों में रील बनाने का शौक जबरदस्त जुनून में तब्दील हो जाएगा। आज हालात ये हैं कि रील बनाने वालों की पगलाई भीड़ उचित-अनुचित, नैतिक-अनैतिक, ज़िन्दगी और मौत कुछ नही देख रही कुछ नही समझ रही। लोग अपना कैरियर, रिश्ते यहां तक कि जीवन दांव पर लगा कर रील बना रहे हैं। संवेदन हीन लोग दुर्घटना में सहायता करने के स्थान पर मृत्यु के मुख में जा रहे आदमी की रील बना कर ख्यात होने का भ्रम पाल रहे हैं। लोग खाते-पीते, जगते-सोते यहां तक कि वर्जित बातों के भी रील बना रहे हैं। पैसे कमाने की चाहत वाले कितने लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम अब रील दिखाने वाले व्यूज पर कोई पैसे नहीं देता है। कंपनी ने पिछले साल मार्च में ही रील पे बोनस प्रोग्राम को बंद कर दिया है।

अपनी रील की पंहुच बढ़ाने के लिए लोग तकनीक का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हैशटैग इंस्टाग्राम रील्स पर उसी तरह काम करते हैं जैसे वे नियमित इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करते हैं। अपने रील कैप्शन में प्रासंगिक हैशटैग का उपयोग करने से उनकी पहुंच बढ़ती है और इससे इनको अधिक व्यू, लाइक, कमेंट और शेयर आकर्षित करने में मदद मिलती है। रील बनाना और रील देखना दोनों ही एक लत की तरह पन रहे हैं । रील बनाने वाले लोग पागलों की तरह दिन-रात रील बनाने में लगे रहते हैं यहां तक कि वे अपने परिवार और जीवन को भी दाव पर लगा रहे हैं, ऐसे हजारों समाचार प्रतिदिन सामने आ रहे हैं जहां पति-पत्नी के बीच रील बनाने को लेकर झगड़े हो रहे हैं और मामला तलाक तक पहुंच रहे है।

अपनी रील की पंहुच बढ़ाने के लिए लोग तकनीक का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हैशटैग इंस्टाग्राम रील्स पर उसी तरह काम करते हैं जैसे वे नियमित इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करते हैं। अपने रील कैप्शन में प्रासंगिक हैशटैग का उपयोग करने से उनकी पहुंच बढ़ती है और इससे इनको अधिक व्यू, लाइक, कमेंट और शेयर आकर्षित करने में मदद मिलती है। रील बनाना और रील देखना दोनों ही एक लत की तरह पन रहे हैं । रील बनाने वाले लोग पागलों की तरह दिन-रात रील बनाने में लगे रहते हैं यहां तक कि वे अपने परिवार और जीवन को भी दाव पर लगा रहे हैं, ऐसे हजारों समाचार प्रतिदिन सामने आ रहे हैं जहां पति-पत्नी के बीच रील बनाने को लेकर झगड़े हो रहे हैं और मामला तलाक तक पहुंच रहे है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर रील बनाने में लगे हैं और रील देखने वालों की हालत इससे भी ज्यादा खराब है, ऊपर जो आंकड़ा दिया गया है उसी से पता चलता है कि एक बार जब आप रील देखना शुरू करते हैं तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कितना समय इस फालतू के काम में बर्बाद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उपयोगी रील बनती ही नहीं है। जीवन कौशल को विकसित करने के लिए बहुत से अच्छे सुझाव और अच्छी जानकारियां भी रील के माध्यम से मिल रही हैं लेकिन हम सब जानते हैं की अच्छी चीजों पर हमेशा ही बुरी चीजों का प्रभाव ज्यादा व्यापक होता है। अश्लीलता का पूरा बाजार रील्स के माध्यम से पसरा पड़ा है और हमारे तकनीकी विशेषज्ञ असहाय होकर केवल हो रहे नुकसान को देख रहे हैं। माता-पिता को खासतौर पर इस समय इस भयावह आदत को नियंत्रित करने के लिए सजग होने की आवश्यकता है शिक्षकों को इस विषय पर गंभीरता से काम करना चाहिए और सरकार को कठोर कानून बनाकर इस दुष्प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।

–अतिथि संपादक.
राजेन्द्र मोहन शर्मा.
साहित्यकार, शिक्षाविद एवं चिन्तक

राशिफल गुरूवार 9 जनवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2081, भरणी नक्षत्र दिन 3:07 तक, साध्य योग सायं 5:29 तक, गर करण दिन 12:23 तक, चन्द्रमा रात्रि 8:46 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-धनु, गुरू-वृष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 3:07 तक है। यमघट योग दिन 3:07 से सूर्योदय तक है। भद्रा रात्रि 11:31 से आरम्भ होगी। आज सूर्य पूजा और शाम्ब दशमी है। मन्वादि है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:39 तक, चर 11:16 से 12:34 तक, लाभ-अमृत 12:24 से 3:14 तक, शुभ 4:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:46

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

सिंह
आज धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मकर
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। आर्थिक व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

वृश्चिक
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

चेक बाउंस के ही 45 लाख से अधिक मामले न्यायालयों में विचाराधीन

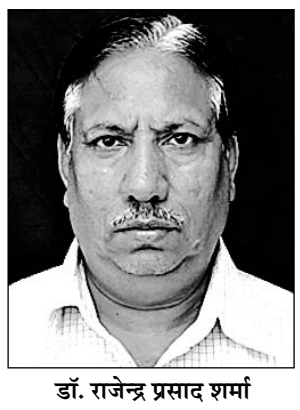

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश के न्यायालयों में 45 लाख से अधिक मामलें केवल और केवल चेक बाउंस होने से संबंधित है। अदालतों में लंबित मुकदमों में करीब 9 प्रतिशत मामलें तो चेक बाउंस के ही है। इसमें भी सर्वाधिक 6 लाख से अधिक मामलें राजस्थान में विचाराधीन है वहीं राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य है जहां चेक बाउंस के सर्वाधिक मामलें विचाराधीन है।

न्यायालयों में मुकदमों के बोझ को लेकर न्यायपालिका से लेकर सरकार और इससे जुड़े लोग सभी चिंतित है। देश के न्यायालयों में कुल 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं। लगातार सुधारों और सकारात्मक प्रयासों के बावजूद न्याय की प्रतीक्षा में इतनी अधिक संख्या में प्रकरणों का बकाया होना इस मायने में भी चिंता का कारण है कि न्यायालयों पर मुकदमे को बोझ कम होने के स्थान पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह सब तो तब है जब लोक अदालतों का समय समय पर लगातार आयोजन किया जा रहा है। दरअसल कुछ इस तरह के मुकदमें है जो सबसे अधिक न्याय के मंदिर का बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसे मुकदमों के निस्तारण की दृष्टि से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले मुकदमों के निस्तारण का जो रास्ता अख्तियार किया गया है वह निश्चित रुप से सराहनीय और न्यायालयों के बोझ को कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा सकता है। यदि चेक बांउस वाले मामलों को भी इसी तरह से निपटान का कोई रास्ता निकल सके तो न्यायालयों में मुकदमों के अंबार को निष्चित रुप से कम किया जा सकता है।

न्यायपालिका और सरकार न्यायालयों में मुकदमों के अंबार से चिंतित होने के साथ ही समाधान की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। चेक बांउस जैसे मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए सुझाव देने के लिए 10 मार्च, 21 को दस सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई समिति ने नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंटल कोर्ट बनाने की सलाह के साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के रुप में स्थापना के सुझाव भी दिए और पायलट प्रोजेक्ट के रुप में करीब 25 कोर्ट बने भी। पर परिणाम सामने नहीं आ सके हैं।

अदालतों में लंबित मुकदमों के अंबार को इसी से समझा जा सकता है कि देश में 5 करोड़ से अधिक मुकदमों में वादी प्रतिवादी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि इनमें से एक लाख 80 हजार मामलें तो 30 साल से भी अधिक समय से लंबित चल रहे हैं। देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर में 80 हजार से अधिक मामलें लंबित है। एक मोटे अनुमान के अनुसार लंबित न्यायालयों में से करीब 85 प्रतिशत से अधिक मामलें तो जिला अदालतों में विचाराधीन है। करीब 25 प्रतिशत मामलें राजस्व से जुड़े हैं। यातायात नियमों की अवहेलना के मामलें भी बहुत अधिक संख्या में है पर इसके निराकरण का रास्ता निकलने लगा है। देश में समय समय पर नियतकाल में लग रही लोक अदालतों में भी बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण होने लगा है। पर सवाल वहीं का वहीं हैं कि देष के न्यायालयों में फास्ट ट्रेक सहित विषेष अदालतें बनने के बाद भी कम होने की जगह दिन प्रतिदिन अधिक ही होते जा रहे है। विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में राष्ट्रप्रति द्रोपदी मुर्मु की टिप्पणी और उपकी चिंता से सभी वाकिफ हो चुके हैं। होता तो यहां तक है कि हजारों की संख्या में ऐसे प्रकरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें जितनी सजा होनी चाहिए उससे अधिक समय तो ज्यूडिशियल कस्टेडी में ही निकल जाता है। इसी तरह से मामूली मारपीट और इसी तरह के दूसर छोटे मोटे मुकदमें न्यायालयों में लगातार बोझ का कारण बनते जा रहे हैं। आपसी जमीन जायदाद और गज दो गज जमीन के, रास्ते के और इनके कारण राजस्व मुकदमों के साथ ही क्रिमिनल मुकदमों और इसी तरह के मुकदमों के न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए त्वरित निस्तारण का कोई समाधान खोजा जाना आवश्यक है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे न्यायालयों द्वारा मुकदमों का बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। व्यवस्था में काफी सुधार किये गए हैं। पुराने लंबित मुकदमों की पहले सुनवाई पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह से तारीख पर तारीख लेने की परंपरा को भी तोड़ा जा रहा है। व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक सेवी बनाया जा रहा है। त्वरित निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। पर तथ्य तो यही दर्शा रहे हैं कि लाख प्रयासों के बावजूद मुकदमों का अंबार कम नहीं हो रहा। भारतीय न्याय प्रणाली को लेकर सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि देशवासियों को न्याय सिस्टम के प्रति विष्वास है और यही कारण है कि लोग जब कोई विकल्प नहीं दिखता तो न्याय के दरवाजे पर गुहार लगाते है।

तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि न्यायालयों में सरकार से जुड़े मुकदमों की संख्या भी बहुत बहुत बड़ी संख्या में हैं। आर्बिटेशन के प्रावधान होने के बावजूद अधिक मामलें निपट नहीं पाते हैं। अब चेक बांउस के मामलों को ही लिया जाए तो इसमें दो बाते साफ है। मोटे रुप से चेक बांउस होने की स्थिति में 2 वर्ष की सजा या चेक राषि की दो गुणा राशि चुकाने के प्रावधान है। केस की प्रकृति के अनुसार सजा कम ज्यादा हो सकती है। ऐसे में 43 लाख मुकदमों का केवल चेक बाउंस से संबंधित होना इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि पांच करोड़ में से यह संख्या कम होती है और खासतौर से ऐसे हालातों में निचली अदालत में मुकदमों का बोझ काफी कुछ कम हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता तो चेक बांउस प्रकरणों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाते हुए लोक अदालत लगाई जाकर उसमें दोनों पक्षों को बुलाकर समझाईश से निपटाया जा सकता है या कुछ इसी तरह का कोई हल खोजा जा सकता है। ऐसे मामलों में एक या दो से अधिक तारीख तो दी ही नहीं जानी चाहिए। ऐसे मामलें अदालत में आने की साथ ही दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का तारीख दर तारीख नहीं बल्कि पहली या दूसरी तारीख में ही देकर के निस्तारित किया जाना अधिक उचित होगा ताकि इस तरह के प्रकरणों का निष्पादन हो सके। यह तो सामान्य व्यक्ति के रुप में सुझाव हो सकता है। न्यायपालिका से जुड़े विशेषज्ञ विद्वतगण इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए कोई सकारात्मक सुझाव दे और सरकार व न्यायपालिका द्वारा परीक्षण कर कोई ऐसी व्यवस्था करें तो मुकदमों के अंबार को कम किया जा सकता है। चेक बांउस तो एक पक्ष है इसी तरह के ऐसे मुकदमें जिनमें अधिक कानूनी पेचिदगियां नहीं होती हो उनके त्वरित निस्तारण का रास्ता निकाल कर न्यायालयों के बोझ को हल्का किया जा सकता हैं। सरकार, न्यायपालिका और इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को इस दिशा में भी निरंतर मनन और समाधान खोजना ही होगा ताकि न्याय जल्दी मिल सके, मुकदमों का भार कम हो सके।

–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)।

राजस्थान-हरियाणा सीमा विवाद में फंसा करोड़ों रुपये का पत्थर, खनिज विभाग मौन

करीब एक माह गुजरने को है, लेकिन कोई भी पत्थर का मालिक बनने को तैयार नहीं है

पहाड़ी/भरतपुर, (निसं)। राजस्थान-हरियाणा सीमा विवाद में फंसा करोड़ों रुपये का अवैध पत्थर लावरिस हालत में राजस्थान सीमा में पड़ा हुआ है। करीब एक माह गुजरने को जा रहा है लेकिन कोई भी पत्थर का मालिक बनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर हरियाणा, राजस्थान के सरकारी महकमे से लेकर के हरियाणा के राजनेताओं ने दौरा कर हालत को जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नही निकला है, ना ही पुलिस अवैध खनन करने वाले माफिया का सुराग लगा पाई है।

मिलीभगत का अंदेशा :- गत दिनों राजस्थान सीमा के नांगल क्रशर जॉन के खसरा नम्बर 162 नया नम्बर 211 से सटे हरियाणा सीमा के पहाड़ को खनन माफियाओं ने ब्लास्टिंग कर ढहा दिया था। जिसका पत्थर राजस्थान सीमा में आकर गिरा था, लेकिन उस पत्थर का मालिक कोई भी नहीं बन रहा है, जिसकी जानकारी को लेकर हरियाणा व राजस्थान के खनिज विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नही है। यहां तक कि फोन तक को रिसीव करना उचित नहीं समझ रहे हैं। इससे सबके मिलीभगत का खेल की सम्भावना दिखाई देने लगी है।

हरियाणा के खनन मंत्री का दौरा, अवैध खनन को नकारा :- गत दिन इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार के खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दौरा कर जायजा लिया। जिसको लेकर हरियाणा के मीडिया को मंत्री ने अवैध खनन होने से साफ इनकार कर दिया है और बताया है कि राजस्थान के वैध लीज खसरा नम्बर 162 में लीज धारकों ने खनन किया है, जिससे हरियाणा के पहाड़ में दरार आई है।

- **हरियाणा, राजस्थान के सरकारी महकमे से लेकर के हरियाणा के राजनेताओं ने दौरा कर हालात को जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला**

गिरे हुए पत्थर पर खनन माफिया की नजर :- हरियाणा व राजस्थान के खनन माफिया की नजर गिरे हुए पत्थर पर कभी भी चोरी से पत्थर गायब हो सकता है। क्योंकि इस पत्थर को लेकर राजस्थान व हरियाणा के विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। इससे लगता है कि रसूखात के चलते सभी मामले को दबाकर करोड़ों रूपये के पत्थर को गायब करना चाहते हैं। अपने अपने बचाव में दोनों राज्यों के खनन विभाग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर इतिश्री कर ली है। वहीं पुलिस भी आरोपिओ का पता नहीं लगा सकी है।

एसडीएम पहाड़ी दिनेश शर्मा का कहना है कि हमारी जांच के दौरान पत्थर हरियाणा का राजस्थान सीमा में पड़ा हुआ पाया गया है। खनिज विभाग ने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है बाकी अन्य मामले की जानकारी खनिज विभाग की जवाबदेही है। यदि फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं तो यह मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है।

मरू महोत्सव का आयोजन 9 से 12 फरवरी तक

जैसलमेर, (नि.सं.)। पर्यटन मानचित्र पर विश्व विख्यात मरू महोत्सव का आयोजन 9 से 12 फरवरी तक होगा। जिला कलेक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में मरू महोत्सव को बेहतर एवं यादगार बनाने के लिए बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सिंह द्वारा मरु महोत्सव में किये जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से समीक्षा की एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों एवं होटल व्यवसाईयों व सम एवं खुहड़ी रिसोर्ट के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर उनसे सुझाव प्राप्त किए। मरु महोत्सव के दौरान पोकरण, जैसलमेर, सम व खुहड़ी में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई।

जिला कलेक्टर प्रतापसिंह ने कहा कि मरु महोत्सव का आयोजन भव्य हो एवं महोत्सव में आने वाले हर देशी-विदेशी पर्यटक उसका पूरा आनंद लें, उसी अनुरुप अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए हर कार्यक्रम को यादगार बनायें। जिला कलेक्टर ने सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र को निर्देश दिए कि वे मरु महोत्सव के चार दिवसीय कार्यक्रमों को अंतिम रुप देकर उसका अभी से ही हर स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पर्यटक महोत्सव को देखने आए।

- **जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मरू महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन**

उन्होंने महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय ख्यातनाम लोक कलाकारों की प्रस्तुति करावें ताकि यहां की लोक संगीत व लोक संस्कृति को ओर अधिक बढ़ावा मिले। बैठक में होटल एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े विक्रमसिंह नाचना, गजेन्द्रसिंह सोढ़ा, कैलाश व्यास, अरुण पुरोहित ने मरु महोत्सव के कार्यक्रमों को और अधिक रौचक बनाने के सम्बन्ध में अपनी ओर से सारगर्भित सुझाव दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर पवन कुमार, उपखण्ड अधिकारी शिवानी जोशी, पुलिस उप अधीक्षक जैसलमेर रुपसिंह इंदा, तहसीलदार सम गजानंद मीणा के साथ ही अन्य मेला व्यवस्थाओं से जुड़े विभागीय अधिकारी, पर्यटन एवं होटल व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे।

अस्थाई सफाई कार्मिकों को चार माह से नहीं मिला वेतन

सादुलपुर, (निसं)। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका राजगढ़ में अस्थाई सफाई कर्मचारी एवं पंप चालकों एवं ड्राइवर का चार माह का बकाया भुगतान ठेकेदार को नहीं देने एवं कार्मिकों के खाते में सीधा भुगतान करने की मांग की है।

- **अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ ने ठेकेदार को भुगतान नहीं करने की मांग की**

अध्यक्ष संदीप चावरिया के नेतृत्व में हरिराम, अजय कुमार, बसंत कुमार, सेवालाल, लालचंद, मुकेश कुमार, दिनेश कुमार, उम्मेद, राजेश, देवकीनंदन आदि कार्मिकों ने लिखित शिकायत में बताया कि नगर पालिका में फर्म जेवी इंटरप्राइजेज बीकानेर के माध्यम से अस्थाई सफाई कार्मिकों ने गत चार माह तक मेहनत कर शहर में सफाई व्यवस्था कार्य किया। लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया। शिकायत में बताया कि पिछली बार 25 लाख रुपए का चेक में पंप चालकों एवं ड्राइवर का भुगतान नहीं किया गया। शिकायत में ठेकेदार को नगर पालिका द्वारा भुगतान नहीं करने की मांग की है तथा कार्मिकों का पैसा सीधा कार्मिकों के बैंक खाते में डालने की मांग की है। शिकायत में बताया कि मेहनत के बावजूद कार्मिकों को पैसा नहीं मिलने के कारण घरेलू परिस्थितियों खराब होने लगी है तथा भारी परेशानियां उठाने पड रही है। शिकायत में समय रहते उचित कार्रवाई की मांग की है तथा कार्रवाई नहीं होने पर धरना और प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है।

मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे निजी कॉलोनीवासी

भीलवाड़ा, (निसं)। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे निजी कॉलोनीवासियों ने नगर विकास न्यास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम के महापौर राकेश पाठक भी प्रदर्शन में शामिल हुए।

महापौर राकेश पाठक ने कहा कि एवरग्रीन, रुक्मिणी और मातेश्वरी कॉलोनी के लोगो ने गत दिनों नगर निगम में हुई जनसुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं से अवगत करवाया था, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र में फैली गंदगी, सड़कों की कमी और रोड लाइट व पेयजल की समस्या थी। सभी कॉलोनियां यूआईटी क्षेत्र में आती है इसलिए निर्णय हुआ कि आज यूआईटी के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा। इसी के तहत बुधवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने यूआईटी के बाहर प्रदर्शन कर सेकेट्री ललित गोयल को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद तत्काल अध्यक्ष कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में सेकेट्री गोयल ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से क्षेत्र का सर्वे कर आमजन की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।

भीलवाड़ा में निजी कॉलोनीवासियों ने नगर विकास न्यास के बाहर प्रदर्शन किया।

ड्यूटी के दौरान आर्मी जवान का निधन

करौली, (निसं.) करौली के आर्मी जवान का हार्टअटैक से जोधपुर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। हवलदार धर्मवीर खटाना नादौती उपखंड में कैमरी के पास दंडकापुरा गांव के रहने वाले थे।

शहीद की पार्थिव देह को बुधवार को पैतृक गांव लाया गया जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार हवलदार धर्मवीर खटाना जोधपुर में सिंगल रेंज में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान मंगलवार प्रात: चार बजे सीने में दर्द हुआ था। इसके बाद उन्हें आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। शहीद की पत्नी विमलेश करौली जिले में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं जबकि शहीद के पिता सूबेदार रामनिवास खटाना भी सेना से सूबेदार के पद से रिटायर हैं।